RISING RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 14/2025

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री जोगाराम पुत्र मालाराम निवासी एडमान जी, सिणधरी (मैसर्स किष्णा किराना एण्ड बर्तन भंडार पचपदरा, जिला बालोतरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गणेश कुमार गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 01.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 03.01.2025 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स किष्णा किराना एण्ड बर्तन भंडार पचपदरा, जिला बालोतरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री जोगाराम उपस्थित मिले। मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 2 व्यावसायिक सिलेण्डर का संग्रहण तथा व्यावसायिक सिलेण्डर में घरेलु गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। बिना आईएसआई मार्का का सिलेण्डर व एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप व बासुरी, रेगुलेटर और बिना आई एस आई मार्का के 4–5 किलोग्राम के छोटे 8 सिलेण्डर वक्त जांच पाया गया। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	817580 टी	Hp	30 किग्रा	16 किग्रा	14 किग्रा
2.	260240	Hp	38.4 किग्रा	19.4 किग्रा	19 किग्रा
3.	36982 एस	Hp	38 किग्रा	19. किग्रा	19 किग्रा

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था तथा गैस रिफलिंग की सामग्री मौक पर जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स मधुबन गैस एजेन्सी बालोतरा के मैनेजर श्री ताजाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर के विक्रय एवं भण्डार से संबंधित किसी भी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने, अनाधिकृत रूप से गैस रिफलिंग का कार्य करने हेतु तथा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा रिफलिंग सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश कुमार गोदारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त जब्दसुदा सिलेण्डर पास की होटल के थे जो अप्रार्थी की दुकान आगे छाया में रखे हुए थे। उक्त सिलेण्डर का किसी प्रकार का बैचान नहीं किया जा रहा था तथा न ही रिफलिंग का कार्य कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। दुकान के बाहर रखे हुए उक्त सिलेण्डर को अप्रार्थी द्वारा जब्त कर दिये गये है। अतः उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को पुनः वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था तथा सिलेण्डर का विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर एवं रिफलिंग सामग्री पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मधुबन गैस एजेन्सी बालोतरा के मैनेजर श्री ताजाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करना तथा रिफलिंग का कार्य करना पाया गया। साथ ही अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेने पर अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के उक्त गैस सिलेण्डर मय गैस तथा रिफलिंग को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त घरेलु व व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा रिफलिंग सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर
बालोतरा